



उत्तराखण्ड विधान सभा

# उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

सोमवार, 15 चैत्र, शक संवत्, 1940

( दिनांक : 26 मार्च, 2018 )

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. प्रश्न ( देखिए नत्थी "क" )
2. मुख्यमंत्री, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-151(2) के अधीन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के "31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन" संख्या-2 वर्ष 2017 सदन के पटल पर रखेंगे।
3. मुख्यमंत्री, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-151 के खण्ड (2) के अधीन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के वर्ष 2016-17 के विनियोग लेखे एवं वित्त लेखे (खण्ड-I एवं खण्ड-II) को सदन के पटल पर रखेंगे।
4. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।
5. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा, "जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-ठकसा में मैन रोड से कुंवर सिंह के खेत तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में" श्री रविन्द्र पुत्र श्री सेवा राम ग्राम ठकसा, पो0 मंगलौर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
6. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा, "जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-खुण्डेवाली में मैन रोड से बिरम सिंह के मकान तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में" श्री बृहम सिंह नेता पुत्र श्री मान सिंह नेता, ग्राम खुण्डेवाली, पो0 झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
7. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा, "जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-सुल्तानपुर साबतवाली में मैन रोड से नरेन्द्र के मकान तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में" श्री सदेश कुमार पुत्र श्री अमर सिंह, ग्राम साबतवाली, पो0 झबरेड़ा जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

8. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा, “जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-हरजौली झोझा में कब्रिस्तान की चारदीवारी निर्माण के सम्बन्ध में” नादिमा पुत्र मुसलीन ग्राम हरजौली झोझा पो० झबरेड़ा जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
9. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा, “जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-साबतवाली में महाड़ी की चारदीवारी के सम्बन्ध में” श्री श्रवण चौधरी पुत्र श्री मानसिंह ग्राम साबतवाली पो० झबरेड़ा जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
10. श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा, “जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के ग्राम सभा दरमोली (रामगढ़) से पिठोली के लिये 2 कि०मी० मोटर मार्ग एस०सी०पी० के तहत स्वीकृति पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में” श्री दीप कुमार पुत्र श्री सुन्दर लाल, ग्राम-दरमोली, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
11. श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा, “जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के ग्राम सभा टांडा में रा०उ०प्रा० विद्यालय टांडा का ध्वस्त भवन के मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में” श्री मदन परगाई पुत्र श्री प्रेम बल्लभ ग्राम-टांडा, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
12. श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा, “जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल में भीमताल, नौकुचियाताल, सातताल, कमलताल, हरीशताल, लोहाखामताल आदि झीलों के सौन्दर्यकरण तथा पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु संसाधनों की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में” श्री अनिल चनौतिया पुत्र श्री इन्द्र सिंह, ग्राम-नौकुचियाताल, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
13. श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा, “जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल में ओखलकाण्डा ब्लॉक के रा०उ०मा०विद्यालय, गौनियारों में पानी व शौचालय की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में” श्री गिरधर सिंह पुत्र गोपाल सिंह, ग्राम-गौनियारो, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
14. श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा, “जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के ओखलकाण्डा ब्लॉक के ग्राम टांडा, रिखाकोट, सुई, खनस्यू मोटर मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में” श्री दीपक परगाई पुत्र श्री प्रेम बल्लभ परगाई, ग्राम-टांडा, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका
15. श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा, “जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के ओखलकाण्डा ब्लॉक के पतलोटे में राजकीय महाविद्यालय भवन बनाने के सम्बन्ध में” श्री शिव सिंह मटियाली पुत्र श्री लाल सिंह, ग्राम-मटेला, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

16. श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा, “जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के ओखलकाण्डा ब्लॉक में रा0प्रा0विद्यालय दिगोली के भवन में दरार आने के सम्बन्ध में” श्री धीरज भट्ट पुत्र श्री प्रेम बल्लभ भट्ट, ग्राम-दिगोली, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
17. श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा, “जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के ओखलकाण्डा ब्लॉक में रा0इ0कालेज, पश्यां में पानी व शौचालय की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में” श्री मंयक कुड़ाई पुत्र श्री देवकी नन्दन कुड़ाई, ग्राम-पश्या, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
18. श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा, “जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के ओखलकाण्डा ब्लॉक में रा0उ0मा0विद्यालय ककोड़ गाजा में पेयजल व शौचालय की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में” श्री नारायण सिंह पुत्र श्री नैन सिंह, ग्राम-ककोड़, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
19. श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा, “जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के ओखलकाण्डा ब्लॉक में रा0प्रा0विद्यालय, बरमधार की क्षतिग्रस्त दीवार को बनवाये जाने के सम्बन्ध में” श्री अरवित सिंह पुत्र श्री महासिंह, ग्राम-बरमधार, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
20. डा0 प्रेम सिंह राणा, सदस्य, विधान सभा, “जनपद ऊधमसिंहनगर के विधान सभा क्षेत्र नानकमत्ता के विकासखण्ड खटीमा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नैगवाठगू के भूजिया न0 3 में 1.50 कि०मी० कच्ची सड़क के डामरीकरण के सम्बन्ध में” श्री भुवन जोशी पुत्र गोविन्द बल्लभ जोशी, ग्राम-भूड़ महोलिया, जनपद ऊधमसिंह नगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
21. डा0 प्रेम सिंह राणा, सदस्य, विधान सभा, “जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र नानकमत्ता के विकास खण्ड सितारगंज के अन्तर्गत ग्राम मैनाझुण्डी से गोविन्दपुर, खुनसरा, खुनसरिया, डुरार, कौदारतन विभिन्न सड़कों के डामरीकरण के सम्बन्ध में” श्री हरजिन्दर सिंह पुत्र बलवीर सिंह, ग्राम-बिज्ठी, जनपद ऊधमसिंह नगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
22. डा0 प्रेम सिंह राणा, सदस्य, विधान सभा, “जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र नानकमत्ता के विकास खण्ड खटीमा के अन्तर्गत ग्राम भूड़ महोलिया नहर के पास से नौगवाठगू, नौगवा पटिया, नौगवानाथ एवं चंदेली मार्ग की ओर लगभग 10 कि०मी० कच्ची सड़क के डामरीकरण के सम्बन्ध में” श्री नत्थू लाल पुत्र चन्दन लाल, ग्राम-नौगवाठगू, जनपद ऊधमसिंह नगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

23. डा० प्रेम सिंह राणा, सदस्य, विधान सभा, “जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र नानकमत्ता में ग्राम नगला से ध्यानपुर आरक्षित वन सीमा के किनारे होते हुए सरौंजा तक ०८ किमी० मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में” श्री सरजीत सिंह पुत्र फिरु सिंह, ग्राम-सरौंजा, जनपद ऊधमसिंह नगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
24. श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा, “जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के ओखलकाण्डा ब्लॉक में प्रा० स्कूल नया पदमपुर, प्रा० स्कूल कौड़ा, प्रा० स्कूल भनपोखरा, प्रा० स्कूल काफली (सरकोट), प्रा० स्कूल पटरानी, प्रा० स्कूल सुरंग एवं प्रा० स्कूल पुटगांव के धस्त भवनों का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में” श्री महेश चन्द्र पुत्र श्री प्रेम राम, ग्राम-पटरानी, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
25. श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा, “जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के भीमताल ब्लॉक के ग्राम बानना के बानना इ० कालेज से धुरा तक ६ कि०मी० लिंग मोटर मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में” श्री पवन पलड़िया पुत्र श्री केशव पन्त, ग्राम-बानना, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
26. श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा, “जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के धारी ब्लॉक के ग्राम बानना के रा०इ० कालेज गुनियालेख, रा०इ० कालेज भटेलिया, रा०इ० कालेज सुन्दरखाल के धस्त भवनों के जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में” श्री नवीन चन्द्र पुत्र श्री मोहन चन्द्र, ग्राम-गुनियालेख, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
27. श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा, “जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के ओखलकाण्डा ब्लॉक के प्रा० स्कूल डुंगरी, प्रा० स्कूल कोटला, प्रा० स्कूल चनेजर, प्रा० स्कूल सिरसा, प्रा० स्कूल क्वैदल, प्रा० स्कूल पोखरी पुटगांव के धस्त भवनों के जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में” श्री दीवन चन्द्र पुत्र श्री हरीराम, ग्राम-पोखरी, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
28. श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा, “जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के ओखलकाण्डा ब्लॉक के प्रा० स्कूल सिरायल, प्रा० स्कूल पदमपुर, प्रा० स्कूल सुवाकोट, प्रा० स्कूल चकसदुला प्रा० स्कूल सनवाल तोक, प्रा० स्कूल अधोड़ा के धस्त भवनों के जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में” श्री मोहन सनवाल पुत्र श्री भोला दत्त, ग्राम-गरगड़ी तल्ली, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
29. श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा, “जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के ओखलकाण्डा ब्लॉक के ग्राम थलाड़ी (गगोलीगाड़) के गगोलीगाड़ गधेरे से गांव को खतरों से बचाने हेतु चैकडाम व सिमेंट के ब्लॉक बनाने के सम्बन्ध में” श्री गंगा सिंह पुत्र श्री भीम सिंह, ग्राम-थलाड़ी, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

30. श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा, “जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के ओखलकाण्डा ब्लॉक के ग्राम थलाड़ी (गगोलीगाड़) में लघु सिंचाई विभाग द्वारा बनी बन्द पड़ी सिंचाई नहर खुलवाने के सम्बन्ध में” श्री महेश सिंह पुत्र श्री बची सिंह, ग्राम-थलाड़ी, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
31. श्री खजान दास, सदस्य, विधान सभा “विधान सभा क्षेत्र राजपुर के अन्तर्गत जानमाल की हानि को रोकने हेतु राजपुर के दोनो छोर कमशः विन्दाल एवं रिस्पना के किनारे सुरक्षा दिवार/तटवध निर्माण के सम्बन्ध में” श्री शिबू थापा पुत्र कर्ण थापा, पूरण बस्ती, डालनवाला, देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
32. श्री बंशीधर भगत, सदस्य, विधान सभा “ चांदनी चौक, घुर्दोड़ा ऐलोपैथी चिकित्सालय सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में” श्री रूप सिंह बिष्ट, ग्राम चांदनी चौक घुर्दोड़ा, पो0 देवलचौड़ा, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
33. श्री बंशीधर भगत, सदस्य, विधान सभा “ चांदनी चौक, घुर्दोड़ा (कालीपुर), में सी0सी0 मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में” श्री अशोक कुमार भट्ट, ग्राम चांदनी चौक घुर्दोड़ा (कालीपुर) पो0 देवलचौड़ा, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
34. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।
35. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
36. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।
37. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।
38. वित्तीय वर्ष, 2018-2019 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा एवं मतदान:-
  - (1) संसदीय कार्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-01 विधान सभा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रुपये 837611 हजार (रुपये तिरासी करोड़ छिहत्तर लाख ग्यारह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
  - (2) संसदीय कार्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-03 मंत्रिपरिषद के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रुपये 1126220 हजार (रुपये एक सौ बारह करोड़ बासठ लाख बीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(3) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रुपये 2381406 हजार (रुपये दो सौ अड़तीस करोड़ चौदह लाख छ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(4) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-05 निर्वाचन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रुपये 541268 हजार (रुपये चौवन करोड़ बारह लाख अड़सठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ख))

(5) राजस्व मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रुपये 16660780 हजार (रुपये एक हजार छ सौ छियासठ करोड़ सात लाख अस्सी हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ख))

(6) वित्त मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाओं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रुपये 84124005 हजार (रुपये आठ हजार चार सौ बारह करोड़ चालीस लाख पांच हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ख))

(7) आबकारी मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-08 आबकारी के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रुपये 269870 हजार (रुपये छब्बीस करोड़ अठानवे लाख सत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ख))

(8) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-09 लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रुपये 181544 हजार (रुपये अठारह करोड़ पन्द्रह लाख चवालीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(9) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रुपये 19356119 हजार (रुपये एक हजार नौ सौ पैतीस करोड़ इकसठ लाख उन्नीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ख))

- (10) शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रुपये 77016145 हजार (रुपये सात हजार सात सौ एक करोड़ इकसठ लाख पैतालीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ख))

- (11) चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रुपये 22865660 हजार (रुपये दो हजार दो सौ छियासी करोड़ छप्पन लाख साठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ख))

- (12) जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रुपये 16360434 हजार (रुपये एक हजार छ सौ छत्तीस करोड़ चार लाख चौतीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ख))

- (13) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-14 सूचना के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रुपये 864646 हजार (रुपये छियासी करोड़ छियालीस लाख छियालीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ख))

- (14) समाज कल्याण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-15 कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रुपये 16660266 हजार (रुपये एक हजार छ सौ छियासठ करोड़ दो लाख छियासठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ख))

- (15) श्रम एवं रोजगार मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-16 श्रम एवं रोजगार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रुपये 3549225 हजार (रुपये तीन सौ चौवन करोड़ बानवे लाख पच्चीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ख))

- (16) कृषि मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रुपये 9666767 हजार (रुपये नौ सौ छियासठ करोड़ सड़सठ लाख सड़सठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ख))

- (17) सहकारिता मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-18 सहकारिता के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रुपये 940887 हजार (रुपये चौरानवे करोड़ आठ लाख सतासी हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ख))

- (18) ग्राम्य विकास मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रुपये 22929968 हजार (रुपये दो हजार दो सौ बानवे करोड़ निन्यानवे लाख अड़सठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ख))

- (19) सिंचाई मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-20 सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रुपये 9202872 हजार (रुपये नौ सौ बीस करोड़ अठ्ठाईस लाख बहत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ख))

- (20) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-21 ऊर्जा के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रुपये 3199392 हजार (रुपये तीन सौ उन्नीस करोड़ तिरानवे लाख बानवे हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ख))

- (21) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-22 लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रुपये 20429235 हजार (रुपये दो हजार बयालीस करोड़ बानवे लाख पैतीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ख))



- (22) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-23 उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रुपये 3078817 हजार (रुपये तीन सौ सात करोड़ अठ्ठासी लाख सत्रह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ख))

- (23) परिवहन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-24 परिवहन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रुपये 2736153 हजार (रुपये दो सौ तिहत्तर करोड़ ईकसठ लाख तिरपन हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ख))

- (24) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-25 खाद्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रुपये 2756461 हजार (रुपये दो सौ पचहत्तर करोड़ चौसठ लाख ईकसठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ख))

- (25) पर्यटन मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-26 पर्यटन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रुपये 1833658 हजार (रुपये एक सौ तिरासी करोड़ छत्तीस लाख अठ्ठावन हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ख))

- (26) वन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-27 वन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रुपये 8085540 हजार (रुपये आठ सौ आठ करोड़ पचपन लाख चालीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ख))

- (27) पशुपालन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रुपये 3034281 हजार (रुपये तीन सौ तीन करोड़ बयालीस लाख ईक्यासी हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ख))

- (28) कृषि मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-29 औद्योगिक विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रुपये 3102610 हजार (रुपये तीन सौ दस करोड़ छब्बीस लाख दस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ख))

- (29) समाज कल्याण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-30 अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रुपये 14609669 हजार (रुपये एक हजार चार सौ साठ करोड़ छियानवे लाख उनहत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ख))


- (30) समाज कल्याण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रुपये 4770384 हजार (रुपये चार सौ सतहत्तर करोड़ तीन लाख चौरासी हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ख))

39. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।
40. वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
41. वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करेंगे।
42. वित्त मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2019 पर विचार किया जाय।
43. वित्त मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2019 पारित किया जाय।
44. संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि “उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ विधेयक, 2018” पर विचार किया जाय।
45. संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि “उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ विधेयक, 2018,” पारित किया जाय।
46. संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि “उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा विविध (संशोधन) विधेयक, 2018,” पर विचार किया जाय।
47. संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि “उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा विविध (संशोधन) विधेयक, 2018,” पारित किया जाय।
48. संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि “उत्तराखण्ड (30प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम,1965) (संशोधन), विधेयक, 2018” पर विचार किया जाय।
49. संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि “उत्तराखण्ड (30प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम,1965) (संशोधन), विधेयक, 2018” पारित किया जाय।

50. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।
51. जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टरों के अभाव से जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र भट्ट, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का नियम -53 के अंतर्गत केवल वक्तव्य ।
52. विधान सभा क्षेत्र नानकमत्ता के कैलाश नदी में बाढ़ आने से दर्जनों गांववासियों की कृषि भूमि के तटबन्ध निर्माण कार्य न होने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में, श्री प्रेम सिंह राना, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को दी गयी सूचना पर सिचाई मंत्री का नियम -53 के अंतर्गत वक्तव्य
53. विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत राजकीय प्राईमरी पाठशाला के भवन की टिन की क्षतिग्रस्त छत से उत्पन्न खतरे के सम्बन्ध में श्री विशन सिंह चुफाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को दी गयी सूचना पर शिक्षा मंत्री का नियम -53 के अंतर्गत केवल वक्तव्य ।
54. प्रदेश में 18 मीटर तक पुलों के निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था को अधिग्रहित न किये जाने से ग्रामीण क्षेत्र के पुलों का निर्माण अवरुद्ध होने के सम्बन्ध में, श्री चन्दन राम दास, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का नियम -53 के अंतर्गत वक्तव्य

देहरादून :  
दिनांक : 25 मार्च, 2018

आज्ञा से,  
  
(जगदीश चन्द्र)  
सचिव।



प्रथम सत्र, 2018  
का प्रथम सोमवार

उत्तराखण्ड विधान सभा

की कार्यसूची

सोमवार, 13 चैत्र, शक संवत्, 1940

( दिनांक : 26 मार्च 2018 )

नत्थी 'क'

तारांकित प्रश्न

श्री राम सिंह कैड़ा

05.02.2018

'1. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र भीमताल के श्यौडा-ककोड-हरीशलाल मोटर मार्ग में तथा नाई-बरमधार से भूमका मोटर मार्ग व पसौना-धैना-कैड़ागांव-कुकना मोटर मार्ग में कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

ग्राम्य विकास

श्री कुंवर प्रणव सिंह  
"चैम्पियन"

05.02.2018

'2. क्या गृह मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनप्रतिनिधि एवं अन्य अनुमन्य व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा हेतु पुलिस गनर उपलब्ध कराये जाते हैं? यदि हां, तो 9 एम0एम0कार्बाइन हथियार से लैस गनर को क्या दो मैग्जीन प्रदान की जाती है? क्या मंत्री जी अवगत है कि जनपद हरिद्वार पुलिस लाईन से सम्बद्ध गनर सिर्फ 1 ही मैग्जीन को कार्बाइन के साथ लाते हैं और दूसरी पुलिस लाईन में ही छोड़कर सुरक्षा ड्यूटी में गम्भीर चूक कर रहे हैं क्योंकि अक्सर कार्बाइन में स्वचालित फायर होने के कारण कारतूस मैग्जीन व चैम्बर के मध्य अटक जाते हैं जिसमें तत्काल दूसरी मैग्जीन का उपयोग पुनः फायर हेतु आवश्यक होता है। क्या मंत्री जी उक्त विषय पर अविलम्ब संज्ञान लेकर लोकहित में पुलिस विभाग को निर्देशित करेंगे कि सुरक्षा ड्यूटी में तैनात गनर भविष्य में दो मैग्जीन साथ रखकर कार्बाइन से सुरक्षा करेंगे? यदि हां, तो उक्त आदेश कब तक लागू हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

गृह

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी

05.02.2018

'3. चतुर्थ सोमवार के तारांकित 12 में स्थानान्तरित

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या स्थानीय नदियों जिनसे स्थानीय निर्धन लोग गौशाला, शौचालय, भवन आदि निर्माण हेतु रेता, बजरी, पत्थर सरकारी रॉयल्टी देकर चुगान करते थे को प्रतिबन्धित कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इससे गरीब निर्धन व्यक्ति जिसे रहने लायक छोटे भवन, गौशाला, शौचालय आदि बनाने हैं एवं सरकारी रॉयल्टी देने को तैयार है उसे अवैध तरीके से स्थानीय प्रशासन से मिलकर चोरी करने व सरकारी राजस्व की हानि को बाध्य नहीं कर रही है? यदि हां तो क्या सरकार पूर्व की भांति अपने निजी निर्माण हेतु स्थानीय नदियों से रॉयल्टी जमा करने पर रेता, बजरी, पत्थर आदि चुगान करने की अनुमति प्रदान करेगी?

राजस्व

श्री देशराज कर्णवाल  
05.02.2018  
श्री राजकुमार  
26.02.2018

'4 क्या कार्मिक मंत्री अवगत है कि सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने हेतु जस्टिस इरशाद हुसैन समिति का गठन किया गया था जिसे संविधान के अनुच्छेद 16-(4क) तथा 16-(4ख) के अन्तर्गत अपनी संस्तुति प्रस्तुत करनी थी और इस समिति ने अपनी संस्तुति सरकार को सौंप दी थी? यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस संस्तुति को सदन के पटल पर रखा था? यदि नहीं तो क्या सरकार इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करेगी? यदि हाँ तो, कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

कार्मिक

श्री प्रीतम सिंह पंवार  
05.02.2018

'5. क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पहाड़ों में वर्षकाल में आने वाली आपदा और उनसे होने वाली जान माल की अपार क्षति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या तैयारियाँ की गई हैं? क्या यह सत्य है कि राज्य में मौसम के संबंध में पूर्वानुमान जानने के लिए लगाये जाने वाले अत्याधुनिक डॉप्लर रडार उपयुक्त स्थान उपलब्ध होने की बात जोह रहे हैं? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि आपदा प्रबन्धन के लिए आज तक राज्य में एक अदद स्थायी हैलीकॉप्टर तक की व्यवस्था क्यों नहीं है? आपदाओं को रोकने व उसके लिए की जाने वाली पूर्व तैयारियों के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

आपदा प्रबन्धन

श्री प्रीतम सिंह पंवार  
05.02.2018

'6. क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के पर्वतीय जनपदों में उद्योगों की स्थापना को लेकर सरकार द्वारा कोई ठोस कार्य योजना बनायी जा रही है? क्या यह सत्य है कि राज्य गठन के पश्चात एक भी उद्योग की स्थापना पर्वतीय जनपदों में नहीं की जा सकी है? क्या सरकार ऐसे उद्योग विहीन जनपदों में उद्योग स्थापित कर वहां के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

औद्योगिक  
विकास

श्री धन सिंह नेगी  
05.02.2018

'7. क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत है कि प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में लम्बे समय से डाक्टर कार्यभार ग्रहण करने के बाद ड्यूटी से अनुपस्थित रहते हैं? यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि अभी तक प्रदेशभर में ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो अस्पताल में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त दीर्घावकाश लेकर चले गये हैं? क्या यह भी सत्य है कि इन डॉक्टरों पर जिला स्तर पर अनुबन्ध विस्तार की अनुमति दी जाती है तथा उक्त अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन करने पर सरकार दण्डात्मक कार्यवाही करती है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

स्वास्थ्य

श्री धन सिंह नेगी  
05.02.2018

'8. विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।

क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री अवगत है कि प्रदेशभर में तकनीकी शिक्षण संस्थानों को ए0आई0सी0टी0ई0 के मानक पर संचालित किया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेशभर में कितने इन्जीनियरिंग कालेजों में मानकों का पालन किया जा रहा है?

तकनीकी शिक्षा

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत हाइड्रो इन्जीनियरिंग कालेज भागीरथी पुरम में कितने विषय संचालित किये जा रहे हैं? उक्त कालेज में फ़ैकल्टियों का सृजन क्या मानक के अनुसार है तथा उन पर नियमित नियुक्तियों की स्थिति क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना  
05.02.2018

'9. क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत है कि प्रदेश में बहुत से मोटर मार्गों हेतु भारत सरकार से वन भूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के लम्बे समय उपरान्त भी कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है? यदि हाँ तो क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त मोटर मार्गों पर कब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ हो पायेगा? यदि नहीं तो क्यों?

लोक निर्माण

श्री विशन सिंह चुफाल  
05.02.2018

'10. क्या राजस्व मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार डीडीहाट, रानीखेत, कोटद्वार एवं यमुनोत्री चार नए जिले के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई थी? क्या सरकार उक्त जनपदों को अस्तित्व में लाएगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व

श्री खजानदास  
05.02.2018

'11. क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री अवगत है कि जनपद देहरादून में स्थित दून मेडिकल कालेज को शहर से बाहर स्थापित किये जाने हेतु लम्बे समय से मांग चली आ रही है किन्तु अब तक भी दून मेडिकल कालेज को शहर से बाहर स्थापित नहीं किया गया है? क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि दून मेडिकल कालेज को शहर से बाहर स्थापित किये जाने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि हां, तो कब तक दून मेडिकल कालेज शहर से बाहर स्थापित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

चिकित्सा शिक्षा

श्री करन माहरा  
06.02.2018

'12. क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि पूर्व सरकार के दौरान रानीखेत विधान सभा के सौनी-दुलीखेत में एक पॉलीटेक्निक विद्यालय खोलने का शासनादेश हुआ था? यदि हां, तो क्या सरकार इस पर कार्य प्रारम्भ कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

तकनीकी शिक्षा

श्री धन सिंह नेगी  
06.02.2018

'13. क्या ऊर्जा मंत्री अवगत है कि प्रदेश के विद्युत विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में झूल रही विद्युत तारों से आये दिन दुर्घटनायें होती हैं? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि अभी तक विद्युत विभाग की झूल रही तारों से कितनी घटनाएँ हुईं तथा विभाग ने अभी तक कितने लोगों को मुआवजा दिया है? क्या विभाग की ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत लाईन के ठीक करने व उनमें नियमित पेट्रोलिंग की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?

ऊर्जा

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी  
06.02.2018

'14. क्या न्याय मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान में उत्तराखण्ड जनपद वार कितने न्यायालय (न्यायिक) हैं जिनके पास अपने भवन व न्यायिक अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु आवासीय भवन है? यदि नहीं, तो उक्त भवनों के निर्माण की सरकार की क्या योजना है? क्या कर्णप्रयाग जिला चमोली में अतिरिक्त जिला जज न्यायालय की स्थापना पर सरकार विचार कर रही है यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी यह भी बताने का

न्याय

कष्ट करेंगे कि सिविल जज जूनियर डिवीजन एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय भवन व आवास निर्माण गैरसैण जनपद चमोली हेतु सरकार विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कुर्वर प्रणव सिंह  
"चैम्पियन"  
06.02.2018

'15. क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत है कि राजकीय योजनाओं के स्वीकृत निर्माण कार्यों की टैंडर प्रक्रिया में उल्लिखित दरों से 40 से 50 प्रतिशत दरें ठेकेदारों द्वारा डालने एवं निविदाएँ हासिल कर उन पर कार्य नहीं किया जा रहा है, बल्कि स्वीकृत कार्यों को रोककर अन्य निविदाएँ ऐसे ही हासिल करने की कुचेष्टा की जा रही है? यदि हां, तो क्या इतने कम दरों पर निविदा स्वीकृत कर उक्त निर्माण कार्यों में गुणवत्ता आ सकेगी? क्या ऐसे कार्य प्रारम्भ भी हो सकेंगे? यदि नहीं तो क्या सरकार निविदा स्वीकृति की सीमा, निर्धारित दर से 15 प्रतिशत 20 प्रतिशत (15 से 20 प्रतिशत) नीचे तक को अंतिम सीमा तय कर उक्त दर से न्यून दरों की निविदाओं को जनहित में अस्वीकृत किए जाने हेतु नियम बनाएगी? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण

श्री कुर्वर प्रणव सिंह  
"चैम्पियन"  
06.02.2018

'16 क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य में विशेष नीति के अन्तर्गत हुए वृहद औद्योगीकरण से स्थापित उद्योगों में प्रदेश के मूल निवासी युवाओं को 70 प्रतिशत (70%) रोजगार प्रदान कराया जायेगा? यदि हां, तो प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थापित उद्योगों में ऐसे कितने उद्योग हैं, जिनके द्वारा 70 प्रतिशत नौकरियों पर उत्तराखण्ड के युवा कार्यरत हैं? तथा उक्त उद्योगों की संख्या कितनी है, जिनके द्वारा 70 प्रतिशत से कम नौकरी उत्तराखण्ड के युवाओं को प्रदान की गयी है? क्या सरकार राज्य के सभी उद्योगों में 70 प्रतिशत रोजगार उत्तराखण्ड के युवाओं को जनहित में अविलम्ब प्रदान करायेगी? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उद्योग

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना  
06.02.2018

'17. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में 108 में कितनी गाड़ियाँ एम्बुलेंस के रूप में किस कम्पनी की कितनी पुरानी तथा किन-किन सुविधाओं के साथ कहाँ-कहाँ लगाई गयी है? क्या मा0 मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि 108 की सेवा का कार्य सरकार द्वारा किस कम्पनी को किस आधार पर कितने समय के लिए दिया गया है? क्या मंत्री यह भी अवगत है कि प्रदेश में जो 108 सेवा तत्काल जनता को दुर्घटना या अन्य आपात स्थिति में नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र ले जाकर उनकी जान बचाने के उद्देश्य से की गयी थी, परन्तु वर्तमान में अपनी लचर कार्य प्रणाली के कारण सन्तोष जनक कार्य करने में असफल हो गयी है? यदि हाँ, तो क्या सरकार 108 जैसे महत्वपूर्ण सेवा देने वाली योजना में सुधार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

स्वास्थ्य

श्री पूरन सिंह फर्त्याल  
06.02.2018

'18. चतुर्थ सोमवार के तारांकित 13 में स्थानान्तरित लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत नेपाल सीमा से लगे हुए दूरस्थ गांव कायल तक सड़क निर्माण किये जाने की मांग लम्बे समय से की जा रही है जिसके लिए पूर्व में कायल तक सड़क निर्माण की मांग उठाई जा चुकी है? यदि हां, तो क्या सरकार सड़क का निर्माण जल्द करायेगी? यदि हां, तो कब

लोक निर्माण

तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री पूरन सिंह फर्त्याल  
06.02.2018

'19. स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या उत्तराखण्ड में कार्यरत आशा कार्यकर्त्री अपने मानदेय को लेकर लगातार आंदोलन करती आयी है? क्या सरकार आशा कार्यकर्त्रियों की मांग को देखते हुए उनको निश्चित मानदेय देगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

स्वास्थ्य

श्रीमती ऋतु खण्डूडी  
भूषण  
06.02.2018

'20. क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्मित सड़कों की मरम्मत और रखरखाव कार्य के लिए सरकार महिला मण्डल के साथ करार कर रही है? यदि हां, तो क्या यमकेश्वर विधान सभा में स्थित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी0एम0जी0एस0वाई0) सड़कों के रखरखाव का कार्य महिला मण्डल के साथ करार करने हेतु सरकार की मंशा है अथवा नहीं? यदि हां, तो इस क्षेत्र में कितने कि0मी0 लम्बी कितनी सड़कों के रखरखाव का जिम्मा किन महिला मण्डलों को कब तक सौपा जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

ग्राम्य विकास

### अतारांकित प्रश्न

श्री राम सिंह कैड़ा  
05.02.2018

1. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि भीमताल विधान सभा के विकास खण्ड भीमताल में ग्राम पंचायत मलुवाताल में जूनियर हाईस्कूल के पास कलसा नदी में (30 मी0लम्बा) झूलापुल का निर्माण होना है? यदि हां, तो क्या मंत्री बतायेंगे कि उक्त झूलापुल का निर्माण कब तक हो जायेगा?

लोक निर्माण

श्री करन माहरा  
05.02.2018

2. क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा गोविन्द सिंह माहरा नागरिक चिकित्सालय रानीखेत, अल्मोड़ा को उच्चिकृत करते हुए 200 शैयायुक्त करने का शासनादेश दिनांक 9.02.2014 को जारी किया गया था? यदि हां, तो सरकार इस कार्य को प्रारम्भ कब तक कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

स्वास्थ्य

श्री करन माहरा  
05.02.2018

3. क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में सन् 1953-54 के दौरान की गई बन्दोबस्ती व्यवस्था जिसका खुलासा सन् 1965 में हुआ था के बाद अभी तक इस प्रकार की कोई बन्दोबस्ती व्यवस्था नहीं की गई है? क्या सरकार इसे पुनः कराने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व



श्री करन माहरा  
05.02.2018

4. क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में कुल कितना बजट रखा गया और बजट के सापेक्ष कुल कितना बजट व्यय किया गया है? तद् सम्बन्धित प्रत्येक विधान सभा वार पूर्ण विवरण क्या है? क्या मुख्यमंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि विपक्षी विधायकों की संस्तुति पर विधान सभा वार कुल कितनी धनराशि स्वीकृति की गयी है? तद् सम्बन्धित पूर्ण विवरण क्या मा0 मंत्री सदन के पटल पर रखेंगे?

मुख्यमंत्री  
कार्यालय

श्री फुरकान अहमद  
05.02.2018

5. क्या गृह मंत्री अवगत है कि रुड़की में नगर निगम के सामने वाले पुल से मेन बाजार को जाने वाली सड़क पर बिना सूचना के पुलिस द्वारा वैरिकेडिंग लगाकर चौपहिया वाहनों (कार) को रोक दिया गया है, जिससे मोहल्ला सोत एवं सती में निवास करने वाले लोगों को भारी पेशानी का सामना करना पड़ रहा है? क्या मंत्री जी मोहल्ला सोत एवं सती में निवास करने वाले लोगों के लिए वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

गृह

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी  
05.02.2018

6. **द्वितीय बुधवार के अता0 04 में स्थानान्तरित।**

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा कर्णप्रयाग के अन्तर्गत कनखल में आर्युवैदिक चिकित्सालय स्वीकृत किया गया है। यदि हां तो उक्त अस्पताल की स्वीकृति कब और किस शासनादेश द्वारा की गयी है तथा इसके लिए कितना बजट स्वीकृत किया गया है व कितने कर्मियों के पद सृजित किये गये हैं? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त चिकित्सालय का भवन निर्माण होने तक क्या इसका संचालन किराये के भवन पर किया जायेगा?

स्वास्थ्य

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी  
05.02.2018

7. क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि वर्ष 2012 के बाद प्रदेश में नई तहसील स्वीकृत हुई हैं? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मानकानुसार इन तहसीलों में पद सृजित है? वर्तमान समय में तहसील आदि बद्री, नन्दप्रयाग, जिलांसू जिला चमोली सृजित पदों के सापेक्ष कितने कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत हैं? यदि हां, तो कब तक इन पदों पर नियुक्ति हो जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी  
05.02.2018

8. क्या लोक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि राष्ट्रीय राज मार्ग 87 ई कर्णप्रयाग से पाण्डुवाखाल डबल लाईन निर्माण प्रस्तावित है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि 03 वर्षों में इस मार्ग निर्माण व मरम्मत एफ0डी0आर0 कार्यों पर किस मद में कितना खर्च हुआ है तथा इसकी मदवार लागत क्या है? क्या यह सत्य है कि उक्त सड़क की स्थिति दैनिकीय होने के कारण बड़े-बड़े गड्ढे, नालियां, इस्कवर बन्द है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी?

लोक निर्माण

श्री प्रीतम सिंह पंवार  
05.02.2018

9. क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ भूस्खलन एवं अतिवृष्टि से होने वाली घटनाओं तथा क्षति को रोकने अथवा कम करने के लिए सरकार कोई ठोस योजना बनाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

आपदा प्रबन्धन

श्री प्रीतम सिंह पंवार  
05.02.2018

10. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में विभिन्न अस्पतालों तथा ब्लड बैंकों के द्वारा ब्लड की प्रति यूनिट दर में कितने प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई? क्या यह सत्य है कि सरकारी अस्पतालों के ब्लड बैंकों में कर्मचारियों व संसाधनों की भारी कमी के चलते जरूरतमंदों को निजी ब्लड बैंकों की ओर जाने को मजबूर होना पड़ रहा है? क्या सरकार ब्लड की प्रति यूनिट दर में समानता लाने हेतु कारगर कदम उठायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

स्वास्थ्य

श्री प्रीतम सिंह पंवार  
05.02.2018

11. क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में कुल कितनी भूमि बतौर गौचर—पनघट के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज है? क्या सरकार बतायेगी कि गौचर—पनघट भूमि पर हुए अवैध कब्जों के कारण पशुओं के चरान—चुगान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है? क्या सरकार ऐसी भूमि को पूर्व भांति गौचर—पनघट के उपयोग हेतु आरक्षित रखे जाने की कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व

श्री धन सिंह नेगी  
05.02.2018

12. क्या कार्मिक मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड राज्य लोकसेवा आयोग की परीक्षा में उत्तराखण्ड से बाहर के अभ्यर्थियों को भी सम्मिलित किया जाता है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उत्तराखण्ड से बाहर के अभ्यर्थियों को लिये जाने का मानक का विवरण क्या है? क्या यह सत्य है कि अन्य राज्यों ने अपने यहां लोकसेवा आयोग की परीक्षा में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को सम्मिलित करने का निश्चित प्रतिशत तय किया है? यदि हां, तो क्या सरकार अपने यहां भी अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को लोकसेवा आयोग की परीक्षा में सम्मिलित करने लिए निश्चित प्रतिशत तय करने के लिए विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

कार्मिक

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना  
05.02.2018

13. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में कुल कितने संयुक्त चिकित्सालय, उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है, एवं इसके सापेक्ष मानकानुसार कितने चिकित्सक व अन्य पराचिकित्सा कर्मी तैनात है? क्या मंत्री इस बात से अवगत है कि ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों के रिक्त पदों के कारण स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही है? यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा समस्या को दूर करने के लिए कोई ठोस नीति तैयार की है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

स्वास्थ्य

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना  
05.02.2018

14. क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधान सभा में टुकरा स्थान पर इंजीनियरिंग कालेज की

स्वीकृति कब और किन-किन विषयों के लिए की गयी थी? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि कालेज के निर्माण व अन्य गतिविधियों हेतु कितने धन की आवश्यकता होगी, और आज समय तक उसके सापेक्ष सरकार द्वारा कितनी धनराशि किस-किस मद में स्वीकृत की गयी है? क्या मंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि व्यय की गयी धनराशि में कार्यदायी संस्था कौन-कौन से विभाग थे और उनके द्वारा क्या कार्य कराने हेतु जो निविदाएँ मंगाई गयी उनका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

तकनीकी शिक्षा

श्री सरेन्द्र सिंह जीना  
05.02.2018

15. क्या ग्रामीण निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उनके विभाग के द्वारा अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधान सभा में कौन-कौन से मोटर मार्गों का निर्माण कितनी-कितनी लागत से किन-किन ठेकेदारों से कराया गया है तथा उसका पूर्ण विवरण देने का कष्ट करेंगे? क्या मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि निर्माण के उपरान्त इनकी देख-रेख कौन करेगा? क्या मंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि मोटर मार्गों पर पड़ने वाली वन भूमि व वृक्षों के पातन हेतु कोई स्वीकृति ली गयी थी? यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

ग्रामीण निर्माण

श्री पूरन सिंह फर्त्याल  
05.02.2018

16. क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अवगत है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लोहाघाट में मरीजों का अत्यधिक दबाव होने के कारण क्षेत्रवासी उक्त स्वास्थ्य केन्द्र के उच्चीकरण की मांग काफी लम्बे समय से करते आ रहे हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का उच्चीकरण कर संयुक्त चिकित्सालय में करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

स्वास्थ्य

श्री पूरन सिंह फर्त्याल  
05.02.2018

17. क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत है कि जनपद चम्पावत में श्री रीठासाहिब गुरुद्वारा के पास लधिया नदी में परेवा को जोड़ने के लिए मोटर पुल की मांग काफी लम्बे समय से की जा रही है? क्या सरकार लधिया नदी में रीठासाहिब गुरुद्वारा से परेवा को जोड़ने के लिए लधिया नदी में मोटर पुल का निर्माण करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण

श्री पूरन सिंह फर्त्याल  
05.02.2018

18. क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत है कि लोक निर्माण विभाग पी0आई0यू0 के अन्तर्गत टनकपुर-जौलजीवी नव निर्माणाधीन मोटर मार्ग के किमी0 30.36 से 55.00 तक में ठेकेदार के अनियमितताओं व फर्जी अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर हथियाये गये अनुबन्ध को निरस्त करने के बाद सम्बन्धित जिम्मेदार अभियन्ताओं के खिलाफ व ठेकेदार के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की गयी है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि कालीसूची में रखने व फर्जी दस्तावेज बनाने के संबंध में ठेकेदार के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर रही है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण

श्री पूरन सिंह फर्त्याल  
05.02.2018

19. क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री अवगत है कि राजकीय पॉलीटेक्निक लोहाघाट में मैकेनिकल, कैमिकल के नये ट्रेड्स खोले जाने की मांग स्थानीय नागरिकों के द्वारा की जा रही है? क्या सरकार राजकीय पौलीटेक्निक लोहाघाट में नये ट्रेड्स खोलने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

तकनीकी शिक्षा

श्री चन्दन राम दास  
05.02.2018

20. क्या प्रावधिक शिक्षा मंत्री अवगत है कि विधान सभा बागेश्वर के अर्न्तगत राजकीय पॉलिटेक्निक गरुड़ में कम्प्यूटर साईंस व सिविल इंजीनियरिंग 2 विषयों की स्वीकृति मिली थी? यदि हां, तो इन विषयों की सैद्धान्तिक व प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद भी उक्त विषयों का संचालन लम्बे समय से क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या सरकार शीघ्र ही उक्त विषयों को संचालित करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

प्रावधिक शिक्षा

श्री चन्दन राम दास  
05.02.2018

21. क्या गृह मंत्री अवगत करायेंगे कि जनपद बागेश्वर में चिन्हित 352 आन्दोलन कार्मियों को प्रमाण-पत्र दिये जाने के लिए सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो अन्य जिलों की भांति बागेश्वर जनपद में चिन्हित आन्दोलनकारी क्यों वंचित है?

गृह

श्री संजय गुप्ता  
05.02.2018

22. क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत है कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लक्सर में निवासियों को राजकीय मल्टी स्पेशलिटी हास्पिटल नहीं होने के कारण गंभीर बीमारियों के उपचार हेतु अन्य दूरस्थ स्थानों पर स्थित चिकित्सालयों में जाना पड़ता है? यदि हां, तो क्या लक्सर शहर में एक राजकीय 100 बेड का चिकित्सालय की स्थापना करायी जायेगी? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों?

स्वास्थ्य

श्री संजय गुप्ता  
05.02.2018

23. क्या चकबन्दी मंत्री अवगत है कि लक्सर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न गांवों में विगत 10-12 वर्षों से चकबन्दी का कार्य चल रहा है? क्या मंत्री इस बात से भी अवगत है कि पिछले सत्र में आश्वासन दिया गया था कि ग्राम जैनपुर का चकबन्दी का कार्य 2 माह में पूर्ण कर लिया जायेगा लेकिन आज वर्तमान समय तक ग्राम जैनपुर की चकबन्दी न होने के क्या कारण हैं? क्या सरकार ग्राम जैनपुर की चकबन्दी को शीघ्र कराते हुए दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

चकबन्दी

श्री विशन सिंह चुफाल  
05.02.2018

24. क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहाट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की कुल कितनी सड़कें वन भूमि के कारण लम्बित हैं? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि वन भूमि का निस्तारण कब तक किया जायेगा?

ग्राम्य विकास

श्री विशन सिंह चुफाल  
05.02.2018

25. क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के सानदेव, चौबाटी एवं मुवानी मोटर मार्ग में ए0डी0बी0 द्वारा किया जा रहा निर्माण कार्य विगत 2 वर्षों से बन्द पड़ा हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार निर्माण कार्य पुनः प्रारम्भ करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण

श्री दलीप सिंह रावत  
05.02.2018

26. क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश की सभी ग्रामसभाओं में ग्राम प्रहरी नियुक्त किये गये हैं? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? क्या सरकार वंचित ग्राम सभाओं में ग्राम प्रहरी की शीघ्र नियुक्ति करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व

श्री दलीप सिंह रावत  
05.02.2018

27. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के सड़कों के सापेक्ष सड़कों के नियमित रख-रखाव हेतु कुल कितने नियमित श्रमिक कार्यरत हैं? क्या सरकार द्वारा सड़कों के निर्माण हेतु रोड गैंग में भर्तियाँ की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण

श्री दलीप सिंह रावत  
05.02.2018

28. क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कोटद्वार तहसील के अन्तर्गत अनुसूचित, अनुसूचित जनजातियों की भूमि की बिक्री की जा रही है? यदि हां, तो क्या शासन स्तर पर इस प्रकार भूमि की बिक्री हेतु शासन द्वारा कोई अनुमति दी गई है? यदि नहीं, तो ऐसी भूमि विक्रय की क्या सरकार जाँच करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व

श्री दलीप सिंह रावत  
05.02.2018

29. विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला पौड़ी गढ़वाल के लैन्सडौन एवं कोटद्वार तहसील के अन्तर्गत रोड कन्ट्रोल एक्ट का पालन किया जा रहा है? यदि हां, तो सड़क किनारे होटलों प्रतिष्ठानों के निर्माण में प्रशासन के अनुमति प्रदान की है? यदि नहीं, तो क्या अवैध निर्माण तोड़े जाएंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण

श्री सुरेश राठौर  
05.02.2018

30. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा ज्वालापुर के बुग्गावाला में लोक निर्माण विभाग के अतिथि विश्राम गृह की कोई योजना विभाग द्वारा व जिला प्रशासन हरिद्वार द्वारा बनाई जा रही है यदि हां, तो उसकी क्या प्रगति है? क्या लोक निर्माण विभाग/जिला प्रशासन इसका आगणन शासन को प्रेषित करेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण

श्री सुरेश राठौर  
05.02.2018

31. क्या उर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य में कुल कितने गांव व तोक विद्युत सुविधा विहीन है? क्या मा0मंत्री यह सूची सदन के पटल पर रखेंगे? जनपद हरिद्वार में कुल कितने गांव व तोक विद्युत सुविधा विहीन है? क्या विधान सभा ज्वालापुर के ग्राम हजाराटोंगिया में विद्युतीकरण हो गया है अथवा नहीं? यदि नहीं, तो क्यों व कब तक पूर्ण

ऊर्जा

कर लिया जायेगा?

श्री सहदेव सिंह  
पुण्डीर  
05.02.2018

32. क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत है कि जनपद देहरादून की विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत मिट्ठीबेड़ी परवल मार्ग की स्थिति अत्यन्त दयनीय है और सड़क की चौड़ाई भी कम होने के कारण ग्रामवासियों को आवागमन में परेशानी उत्पन्न होती है। सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण पूर्व में कई दुर्घटनाएं घट चुकी है। आवागमन की समस्या से निजात दिलाये जाने हेतु सड़क की चौड़ीकरण की क्या कोई कार्यवाही प्रस्तावित है? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण

श्री सहदेव सिंह  
पुण्डीर  
05.02.2018

33. क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत है कि जनपद देहरादून की विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत शिमला बाईपास में धर्मावाला व बड़ोंवाला के मध्य सरकारी अस्पताल खोले जाने हेतु काफी समय से मांग की जा रही है? क्षेत्रवासियों की मांग को मध्यनजर रखते हुए क्या अस्पताल खोले जाने हेतु कोई कार्यवाही प्रस्तावित है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

स्वास्थ्य

श्री देशराज कर्णवाल  
06.02.2018

34. क्या चिकित्सा मंत्री अवगत है कि उत्तराखण्ड में बड़े-बड़े सरकारी अस्पतालों में दिन-प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिस कारण सभी मरीजों का पूर्ण इलाज नहीं हो पा रहा है? मरीजों की इस बढ़ती संख्यां व पूर्ण रूप से ईलाज मुहैया कराने के लिए क्या सरकार द्वारा कोई योजना बनाई जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

चिकित्सा

श्री राम सिंह कैड़ा  
06.02.2018

35. क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि भीमताल में जो उद्योग लगे थे वह ज्यादातर बन्द हो चुके हैं? यदि हां, तो उक्त बन्द हुये उद्योग कब तक खुलेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

औद्योगिक  
विकास

श्री राम सिंह कैड़ा  
06.02.2018

36. क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि भीमताल विधान सभा के ओखलकाण्डा ब्लॉक के खनस्यू में जो तहसील खुली है उसमें तहसीलदार सहित स्टाफ कब तक नियुक्त होगा? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व

श्री राम सिंह कैड़ा  
06.02.2018

37. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के भीमताल विकास खण्ड के ओखलकाण्डा ब्लॉक के भीड़ापानी-पंतोली मोटर मार्ग व बासकोटी केडागांव मोटर मार्ग का निर्माण एवं डालकनिया-भोलापुर मोटर मार्ग तथा खनस्यू टांडा मोटर मार्ग का निर्माण कब तक कराया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण

श्री राम सिंह कैड़ा  
06.02.2018

38. क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री अवगत है कि भीमताल विधान सभा के सभी ब्लॉकों में कृषकों का वर्ष 2016 में सूखा राहत के आर्थिक सहायता हेतु चैक अभी तक प्राप्त नहीं हुये हैं? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि आर्थिक सहायता के चैक कब तक कृषकों को मिल पायेंगे?

आपदा प्रबन्धन

श्री राम सिंह कैड़ा  
06.02.2018

39. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि भीमताल विधान सभा के विकास खण्ड भीमताल में हैडाखान मंदिर के पास गौला नदी में 30 मीटर झूलापुल का निर्माण होना है? यदि हां, तो उक्त पुल का निर्माण

लोक निर्माण

कब तक हो जायेगा?

श्रीमती ममता राकेश  
06.02.2018

40. क्या महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र फ़ैक्ट्रियों में कार्यरत महिलाओं हेतु सरकार कोई हांस्टल का निर्माण कराये जाने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

महिला  
सशक्तिकरण

श्री धन सिंह नेगी  
06.02.2018

41. प्रथम मंगलवार के अतारांकित 85 में स्थानान्तरित  
क्या सामान्य प्रशासन मंत्री अवगत है कि उत्तराखण्ड राज्य में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों कारगिल व सैनिक शहीदों के सम्मान में स्मारक इत्यादि बनाये जाने का प्राविधान है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा अभी तक कितने ऐसे शहीदों के सम्मान में स्मारक इत्यादि का निर्माण किया गया है? क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा टिहरी के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के गांव, दिगोठी, तुगोली, माणदा, दिवाडा, काण्डा, बुडोगी, मन्जूड, नैल, शुक्लपुर, सगवाण गांव, जसपुर, जाख, गुल्डी, कोट, सुदाडा, रयूटी मरोडा, सोणधार, पालकोट, कफाली, स्वाडी, चाह गडोलिया, काटीखास में शहीदों के नाम स्मारक/स्वागत द्वार बनाने की योजना प्रस्तावित है? यदि नहीं, तो क्यों?

सामान्य  
प्रशासन

श्री धन सिंह नेगी  
06.02.2018

42. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार द्वारा राज्य के सभी जिला चिकित्सालयों में सी0टी0 स्कैन अल्ट्रासाउण्ड मशीनें व एक्सरे मशीन लगाने का प्रस्ताव है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य के सभी जिला अस्पतालों में उक्त मशीनें कब तक लगायी जायेंगी? यदि नहीं, तो क्यों?

स्वास्थ्य

श्री धन सिंह नेगी  
06.02.2018

43. द्वितीय गुस्वार के अतारांकित 01 में स्थानान्तरित।  
क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत है कि उत्तराखण्ड राज्य में क्षेत्र पंचायतें (ब्लॉक) उत्तराखण्ड राज्य गठन के समय से निश्चित है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार के सम्मुख विषम भौगोलिक परिस्थिति के कारण एवं असंगठित ब्लॉकों के परिसीमन/पुर्नगठन करने का प्रस्ताव है? यदि नहीं, तो क्यों?

ग्राम्य विकास

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी  
06.02.2018

44. पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।  
क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि वर्ष 2012 के बाद प्रदेश में नई तहसील स्वीकृत हुई है? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मानकानुसार इन तहसीलों में पद सृजित है? वर्तमान समय में तहसील आदि बद्री, नन्दप्रयाग, जिलासू जिला चमोली में सृजित पदों के सापेक्ष कितने कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत हैं? यदि हां, तो कब तक इन पदों पर नियुक्ति हो जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी  
06.02.2018

45. क्या लोक निर्माण विभाग मंत्री बतायेंगे कि वर्ष 2013 से निर्माणाधीन विश्व बैंक योजनान्तर्गत गैरसैण पज्याणा, पाण्डुवाखाल राहिडा मार्ग का सुधारीकरण कार्य पूरा हो गया है? यदि हां, तो क्या मंत्री यह भी बतायेंगे कि इस कार्य हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत है व कितनी खर्च हुई है?

लोक निर्माण

वर्तमान में कार्य की क्या स्थिति है तथा कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी  
06.02.2018

46. प्रथम बुधवार के अतारांकित 95 में स्थानान्तरित

तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या कर्णप्रयाग विधान सभा के अन्तर्गत नैनीसैण में आई0टी0आई0 संस्थान की स्वीकृति प्रदान की गई है? यदि हां, तो उक्त आई0टी0आई0 की स्थापना कब और किस शासनादेश द्वारा की गई है तथा इसके लिए कितना बजट स्वीकृत किया गया है? यदि हां, तो इस पर कब से कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा कितने कार्मिकों के पद स्वीकृत किये गये है व इसके पठन-पाठन कार्य किस सत्र से प्रारम्भ किया जायेगा? यदि हां, तो भवन निर्माण होने तक क्या पठन-पाठन कार्य किराये के भवन पर किराये जाने की सम्भावना है?

तकनीकी शिक्षा

श्री सहदेव सिंह  
पुण्डीर  
06.02.2018

47. क्या राजस्व मंत्री अवगत है कि जनपद देहरादून की विधान सभा सहसपुर के विकास खण्ड सहसपुर की ग्राम पंचायत आरकेडिया में चाय बगान में कार्य करने वाले श्रमिक लगभग 70-75 वर्षों से चाय बगान क्षेत्र के अन्तर्गत निवास कर रहे हैं? क्या इन परिवारों को सरकार के स्तर से मालिकाना हक दिलवाये जाने हेतु कोई कार्यवाही प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व

श्री सहदेव सिंह  
पुण्डीर  
06.02.2018

48. क्या राजस्व मंत्री अवगत है कि जनपद देहरादून की विधान सभा सहसपुर के विकास खण्ड सहसपुर की ग्राम पंचायत चन्द्रबनी के निवासीगण जो ग्राम पंचायत के अन्तर्गत लगभग 70-75 वर्षों से निवास कर रहे हैं? और कृषि योग्य भूमि का भी उपयोग कर रहे हैं? क्या इन परिवारों को सरकार के स्तर से मालिकाना हक दिलवाये जाने हेतु कोई कार्यवाही प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना  
06.02.2018

49. क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत है कि अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधान सभा में हरड़ा-नागचूला मोटर मार्ग का सुधारीकरण डामरीकरण का कार्य ए0डी0बी0 अल्मोड़ा द्वारा कराया गया था? क्या मंत्री इस बात से भी अवगत है कि कार्य मानकानुसार नहीं किया गया था और मोटर मार्ग बनने के बाद से ही खराब सामग्री प्रयोग करने के कारण जगह-जगह क्षतिग्रस्त हो गया था जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है? यदि हाँ, तो क्या मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा इस प्रकरण की कोई जाँच करायी गयी और आज समय तक कोई कार्यवाही की गयी है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? क्या सरकार किसी भी बड़ी दुर्घटना से बचने के लिए शीघ्र सड़क का सुधारीकरण करायेगी और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी? यदि नहीं तो क्यों?

लोक निर्माण



श्री सुरेन्द्र सिंह जीना  
06.02.2018

50. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधान सभा में गगास-उड़ीमहादेव-सैलापानी-भिक्यासैण-मरचूला मोटर मार्ग की स्वीकृति कब और कितने किमी० में की गयी थी, और उसके लिए कितनी धनराशि स्वीकृत है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि आज समय तक कितनी धनराशि कितने किमी० के निर्माण के सापेक्ष व्यय की जा चुकी है, और कितना कार्य शेष होना है, तथा उसके लिए आज समय तक कितनी धनराशि स्वीकृत है? क्या सरकार जनहित में शीघ्र इसका निर्माण करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना  
06.02.2018

51. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधान सभा में देघाट नामक स्थान के पास तामाढौन-गोलना-खल्डुवा आदि स्थानों के लिए मोटर मार्ग को जोड़ने के लिए मोटर पुल स्वीकृत है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त पुल की स्वीकृति कब और कितनी लागत से थी? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि महत्वपूर्ण पुल का आज समय तक निर्माण कार्य क्यों नहीं हो पाया और इसमें अब कितनी लागत लगेगी? क्या सरकार जनहित में उक्त पुल का निर्माण शीघ्र करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना  
06.02.2018

52. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधान सभा में महरौली-चितौडखाल मोटर मार्ग कब स्वीकृत हुआ और इसकी लम्बाई कितनी थी तथा इसका कितना निर्माण कार्य हो चुका है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि आज समय तक इसके लम्बित रहने के क्या कारण हैं? क्या सरकार जनहित में शीघ्र इसका निर्माण गन्तव्य स्थान तक करायेगी ताकि मोटर मार्ग से जनता को लाभ मिल सके और मोटर मार्ग की स्वीकृति का उद्देश्य पूरा हो पाये? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण

श्री पूरन सिंह फर्त्याल  
06.02.2018

53. क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अवगत हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लोहाघाट में ट्रॉमा सेन्टर का निर्माण किया जा चुका है? क्या ट्रॉमा सेन्टर को सुचारु रूप से चलाया जा रहा है? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?

स्वास्थ्य

श्री चन्दन राम दास  
06.02.2018

54. क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राष्ट्रीय विद्यालयी सुरक्षा कार्यक्रम (छैच्) के अन्तर्गत चयनित इण्टर कालेज वज्यूला व अन्य विद्यालयी भवनों में भूकम्पीय सुदृढीकरण की धनराशि आवंटन करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

आपदा प्रबन्धन

श्री चन्दन राम दास  
06.02.2018

55. क्या चिकित्सा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बागेश्वर जिले के लिए बेस अस्पताल निर्माण की योजना विचाराधीन है? यदि हाँ, तो इसके निर्माण के लिए सरकार कब तक धनराशि आवंटित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

चिकित्सा

श्री दलीप सिंह रावत  
06.02.2018  
श्री पूरन सिंह फर्त्याल  
14.02.2018

56. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि आशा कार्यकर्त्रियों को विभाग नियमित प्रतिमाह निश्चित धनराशि देने पर विचार कर रहा है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

स्वास्थ्य

श्री केदार सिंह रावत  
06.02.2018

57. **द्वितीय मंगलवार के अता0 15 में स्थानान्तरित।**

क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि टिहरी जल विद्युत विकास निगम के पुर्नर्वास निदेशालय द्वारा विकास खण्ड चिन्यालीसौड में विगत 5 वर्ष में क्या-क्या निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं? क्या मंत्री जी यह भी बताएंगें की क्या-क्या कार्य किए जाने प्रस्तावित थे तथा उसकी क्या प्रगति आख्या है?

ऊर्जा

श्री केदार सिंह रावत  
06.02.2018

58. क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि टिहरी जल विद्युत विकास निगम द्वारा सी0एस0आर0 अपने मद में जनपद उत्तरकाशी में विगत पाँच वर्षों में कितना धन खर्च किया है तथा आगामी वर्ष हेतु कितना धन किन-किन मदों में खर्च किया जाना प्रस्तावित है?

ऊर्जा

श्री विशन सिंह चुफाल  
06.02.2018

59. क्या लोक निर्माण मंत्री यह अवगत है कि जनपद पिथौरागढ़ में सातसिलिंग से थल तक मोटर मार्ग में ए0डी0बी0 द्वारा डामर, स्कवर, दीवाल, काजवे एवं कटिंग का कार्य किया जाना था जिसमें कम्पनी द्वारा कटिंग का कार्य नहीं किया गया है? क्या सरकार कटिंग का कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराएगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण

श्री विशन सिंह चुफाल  
06.02.2018

60. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडिहाट के अन्तर्गत राज्य सेक्टर के अन्तर्गत की कुल कितनी सड़कों हेतु वन भूमि की विधिवत स्वीकृति मिल है? क्या सरकार द्वितीय चरण का धन अवमुक्त कराएगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण

श्री सुरेश राठौर  
06.02.2018

61. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा ज्वालापुर में कितने सरकारी अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/पैथलाजी लैब है एवं उनमें तैनात सरकारी डाक्टरों/लैब टैक्नीशियनों की संख्या क्या है तथा उनमें मानकों के अनुरूप पर्याप्त संख्या में डाक्टर/लैब टैक्नीशियन उपलब्ध है? यदि नहीं, तो क्यों?क्या विधानसभा ज्वालापुर में नए सरकारी अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/पैथलोजी लैब बनाये जाने की कोई योजना है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

स्वास्थ्य

श्री मगनलाल शाह  
06.02.2018

62. मा0 सदस्य के निधन के फलस्वरूप व्यपगत।

श्री मगनलाल शाह  
06.02.2018

63. मा0 सदस्य के निधन के फलस्वरूप व्यपगत।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी  
07.02.2018

64. क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के अंतर्गत स्थान सिमली में बेस अस्पताल बनाने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो उक्त बेस अस्पताल की स्वीकृति कब और किस शासनादेश के द्वारा की गयी तथा इसके लिए कितना बजट स्वीकृत किया गया है व किस विभाग द्वारा कार्य कराया जाना है? यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा तथा यहां पर कितने विशेषज्ञ चिकित्सकों व अन्य कर्मियों की तैनाती किये जाने की सम्भावना है?

स्वास्थ्य

श्री देशराज कर्णवाल  
07.02.2018

65. क्या नागरिक उड्डयन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ उड़ान भरने हेतु संचालित हो रही हैलीकॉप्टर कम्पनियों द्वारा अनु0जाति के लोगों को कोई रियायत प्रदान की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

नागरिक  
उड्डयन

श्री धन सिंह नेगी  
07.02.2018

66. क्या मत्स्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि टिहरी विधान सभा के अन्तर्गत टिहरी झील में मत्स्य विभाग की कोई योजना संचालित है? क्या मंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि टिहरी झील में मछली पालन हेतु विभाग द्वारा किये गये टेंडर में सरकार की प्रतिवर्ष कितनी राजस्व की प्राप्ति हो रही है? यदि नहीं तो क्यों?

मत्स्य विकास

श्री धन सिंह नेगी  
07.02.2018

67. क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नर्सिंग कॉलेजों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत कॉलेजों के अवस्थापना विकास हेतु कोई योजना है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत नर्सिंग कॉलेज काण्डा सुरसिंधार टिहरी गढ़वाल में सृजित पदों पर स्वीकृति हेतु सरकार कब तक विचार कर रही है? यदि नहीं तो क्यों?

चिकित्सा शिक्षा

श्री धन सिंह नेगी  
07.02.2018

68. क्या पशुपालन मंत्री अवगत है कि सरकार द्वारा प्रदेश के जनपदों में पशु चिकित्सालयों को खोलने का निर्णय किया गया है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि टिहरी विधान सभा के अन्तर्गत पशु चिकित्सालय, अंजनीसैण, ज्ञानसू, नागदेव, पथल्ड में भवन निर्माण किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

पशुपालन

श्री मगनलाल शाह  
07.02.2018

69. मा0 सदस्य के निधन के फलस्वरूप व्यपगत।

श्री मगनलाल शाह  
07.02.2018

70. मा0 सदस्य के निधन के फलस्वरूप व्यपगत।

श्री मगनलाल शाह  
07.02.2018

71. मा0 सदस्य के निधन के फलस्वरूप व्यपगत।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना  
07.02.2018

72. क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि मनरेगा योजना के अन्तर्गत प्रदेशभर में कुल कितने वेयर फूट तकनीशियनों को ट्रेनिंग दी गयी है, एवं उनमें से कितनों को विकासखण्ड वार रोजगार दिया गया है? मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या रोजगार पर रखे गये लोगों को आज समय तक कोई मानदेय नहीं दिया जा रहा है? क्या सरकार वेयर फूट ट्रेनिंग प्राप्त सभी को रोजगार के साथ-साथ मानदेय का भुगतान भी करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

ग्राम्य विकास

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना  
07.02.2018

73. क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत है कि उनके विभाग द्वारा आपदा के तहत पर्वतीय क्षेत्रों के अधिकांश मोटर मार्गों पर डामरीकरण व पैच मरम्मत का कार्य किया गया था जो बरसात के समय पानी के रुकने से पुनः क्षतिग्रस्त हो रहा है? यदि हाँ, तो क्या सरकार बरसात के पानी की शीघ्र निकासी व मोटर मार्गों की सुरक्षा हेतु मोटर मार्गों पर नाली निर्माण कर पानी की शीघ्र निकासी हेतु कोई योजना बनायेगी? यदि हाँ, तो क्या और कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना  
07.02.2018

74. क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत है कि पर्वतीय क्षेत्रों में भारत सरकार से वन भूमि की स्वीकृति न मिल पाने के कारण लम्बे समय से स्वीकृत मोटर मार्गों का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाता है और जनता को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है? यदि हाँ, तो क्या सरकार अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधान सभा में छह ऐसे वन भूमि स्वीकृत (1)पत्थरखोला-महरागांव (2) ऐराडीबिष्ट से राम सिंह किचार (3.) कारगिल शहीद आनन्द सिंह रावत गिवाईपानी (4). देघाट-नागचूला से चन्थरखाड़ी किलयालिंगुड़ होते हुए छिपा बैण्ड मिलान (5.) महरौली-चित्तौड़खाल (6) तामाढौन-गोलाना-खल्डुवा मोटर मार्ग हेतु पुल का अवशेष) सभी 6 मोटर मार्गों पर जिनका पुनरीक्षित आगणन स्वीकृति हेतु लम्बित है पर शीघ्र मोटर मार्ग प्रारम्भ कर क्षेत्रीय जनता को मोटर मार्ग का लाभ देगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना  
07.02.2018

75. क्या गृह मंत्री अवगत है कि 12 फरवरी 2017 को अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधान सभा में थानाध्यक्ष सल्ट जिनकी जिम्मेदारी चुनाव के दौरान आचार संहिता का पालन करवाना और शराब माफियों पर लगाम लगाने की थी वह स्वयं अपनी सरकारी गाड़ी में शराब लेकर चल रहे थे और चुनाव आयोग के द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर गाड़ी को जब्त कर लिया गया था? क्या गृह मंत्री जी अवगत है कि गम्भीर आरोपित थानाध्यक्ष को और गाड़ी को तत्काल बिना किसी जुर्माने के छोड़ दिया गया जबकि उसी रात पकड़ी गई दो अन्य गाड़ियों को लम्बे समय तक हिरासत में रखते हुए भारी जुर्माना लगाने के बाद छोड़ा गया? क्या गृह मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या उनकी सरकार ने सरकारी कर्मचारी और सामान्य नागरिकों के लिए अलग-अलग नियम बना रखे है और सरकारी कर्मचारियों द्वारा सरकारी वाहन से किए गये गम्भीर अपराधों पर कोई जुर्माना या सजा नहीं होगी? क्या सरकार एक ही दिन किए गये अपराध के लिए एक जैसा जुर्माना लगायेगी और सरकारी महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए गम्भीर अपराध करने पर शीघ्र उचित कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो

गृह

कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती ऋतु खण्डूड़ी  
भूषण  
07.02.2018

76. क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत है कि यमकेश्वर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पर्यटन और जैविक खेती के दृष्टिकोण से विख्यात ग्राम पटना के लिये "पटना घाईकल" सम्पर्क मार्ग की वर्ष 2007-08 एससीएसपी कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय मंजूरी मिली थी लेकिन 10 साल बाद इस सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, फलस्वरूप पटना तल्ला-मल्ला हल्दोगी, सिमलखेत, नागराजा, भादसी आदि गांव आवागमन की सुविधा से वंचित है? इस मार्ग के निर्माण में बिलम्ब के क्या कारण हैं? इन कारणों का निदान करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है? मार्ग का निर्माण कब प्रारम्भ होगा और यह कब पूर्ण होगा?

लोक निर्माण

श्रीमती ऋतु खण्डूड़ी  
भूषण  
07.02.2018

77. क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत है कि वर्ष 1984 में बने मोहन चट्टी झूलापुल पर पिछले एक दशक से कोई मरम्मत कार्य न होने से पुल की रेलिंग टूट गयी और तारों पर जंक लग गया है जो पौड़ी जिले के यमकेश्वर विकासखण्ड में स्थित यह झूलापुल मंगलियागांव, बीरकाटल, कुमार्था, मुसराली, बाँगा, नाईगधेरा आदि गांवों के करीब 10,000 से अधिक आबादी का आवागमन का एक मात्र विकल्प है? क्या सरकार इस झूलापुल मरम्मत की मंशा रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण

श्री राम सिंह कैड़ा  
07.02.2018

78. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि भीमताल विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड ओखलकाण्डा के ग्राम पंचायत बलना मटियाल नदी में 22 मीटर लम्बा झूलापुल का निर्माण होना है? यदि हां, तो उक्त झूलापुल का निर्माण कब तक हो जायेगा?

लोक निर्माण

श्री राम सिंह कैड़ा  
07.02.2018

79. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के विकास खण्ड भीमताल के ओखलकांडा ब्लाक के भीड़ापानी-झुपलीबांज में जो रा0प्रा0स्वा0केन्द्र स्वीकृत था, उसकी वर्तमान में बनने की क्या स्थिति है? क्या मंत्री यह भी बतायेगें कि भीमताल विकास खण्ड में डाक्टरों/फार्मासिस्टों की कमी को दूर करने के लिए सरकार क्या कोई प्रयास कर रही है?

स्वास्थ्य

श्री राम सिंह कैड़ा  
07.02.2018

80. क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत है कि भीमताल विधान सभा क्षेत्र के धारी ब्लाक के कसिलालेख-बूढीबना-सूपी रोड़ जीर्ण-शीर्ण होने के कारण ग्रामीण काश्तकारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त सड़क में मरम्मत का कार्य कब तक होगा?

लोक निर्माण

श्री राम सिंह कैड़ा  
07.02.2018

81. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भीमताल विधान सभा क्षेत्र के ओखलकाण्डा ब्लाक पतलोटे-देवली मोटर मार्ग के किमी0 6 क्रॉस सै0 6 स्थान पस्या कौड़ार से अनुसूचित जाति वाहुल्य क्षेत्र काण्डा, कडाईजर तक मोटर मार्ग कब तक बनेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण

श्री पूरन सिंह फर्त्याल  
07.02.2018

82. क्या लोक निर्माण विभाग मंत्री अवगत है कि जनपद चम्पावत के विधान सभा लोहाघाट में विकास खण्ड पार्टी के बिनवालगांव, कलियाधूरा, गोलडांडा एवं विकास खण्ड बाराकोट के शील गांव में अभी तक सड़क नहीं पहुंच पायी है? यदि हां, तो क्या सरकार इन गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ने की योजना बना रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण

श्री करन माहरा  
07.02.2018

83. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सन् 2011-15 के दौरान जनपद अल्मोड़ा के लिए कितने ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की नियुक्तियां निकाली गईं एवं उसके सापेक्ष कितने लोगों ने पद ग्रहण किये? क्या सरकार वर्तमान में रिक्त पदों पर पुनः नियुक्ति करने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

ग्राम्य विकास

श्री सुरेश राठौर  
07.02.2018  
श्री राजकुमार  
26.02.2018

84. क्या सैनिक कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि० (उपनल) द्वारा विभिन्न विभागों में कुल कितने कार्मिक नियुक्त किये गये हैं? क्या इन कार्मिकों की नियुक्ति में आरक्षण के नियमों का पालन किया गया है? यदि हां, तो इनमें से अनु० जा०/अनु०जनजाति के कितने कार्मिक कार्यरत हैं? यदि नहीं, तो आरक्षण के नियमों का पालन न करने का क्या कारण है?

सैनिक कल्याण

श्री खजानदास  
07.02.2018

85. क्या लो०नि०वि० मंत्री अवगत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर अन्तर्गत लो०नि०वि० थत्युड़ द्वारा निर्मित अगलाड़-थत्युड़ मोटर मार्ग, बडेथी बनचौरा मोटर मार्ग, नैनबाग घोड़ाखुरी मोटर मार्ग, नकोट नेग्याण मोटर मार्ग, थत्युड़ मराडा मोटर मार्ग कददूखाल कुमालडा मोटर मार्ग, गरखेत द्वारगढ़ मोटर मार्ग सुमनक्यारी बणगांव सुरासू मोटर मार्ग, खरसौन क्यारी खरसौन मोटर मार्ग, परोगी काण्डी मोटर मार्ग, लालपुल भुत्सी मोटर मार्ग, अलमस भवान नगुण मोटर मार्ग सहित अनेकों मोटर मार्ग के निर्माण के उपरान्त आज तक भी कास्तकारों को सड़क निर्माण से हुये दबान का मुआवजा प्रदान नहीं किया गया है? क्या मंत्री अवगत करायेंगे कि उक्त खण्ड के अन्तर्गत किन-किन सड़कों का दबान एवं कटान का मुआवजा प्रदान किया जा चुका है तथा किन-किन सड़कों का कटान एवं दबान के मुआवजे का भुगतान आज तक भी सरकार द्वारा नहीं किया गया है? क्या सरकार उक्त खण्ड में निर्मित मोटर मार्गों का दबान एवं कटान का भुगतान किसानों को करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण

श्रीमती ममता राकेश  
08.02.2018

86. क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति के बी०पी०एल० भूमि परिवारों की संख्या कितनी है? क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वे कराया गया है? यदि हां तो तत्सम्बन्धी जनपदवार विवरण क्या है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि जनपदवार अब तक कितने परिवारों को पट्टे आवंटित किये गये हैं? यदि हां, तो इसका जनपदवार विवरण सदन के पटल पर रखेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व

श्रीमती ममता राकेश  
08.02.2018

87. क्या चिकित्सा मंत्री अवगत है कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों एवं स्त्री रोग विशेषज्ञों की भारी कमी होने के कारण क्षेत्रवासियों विशेषकर महिलाओं को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार इन केन्द्रों में चिकित्सकों तथा एक स्त्री रोग विशेषज्ञ की पूर्णकालिक तैनाती करने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

चिकित्सा

श्री राम सिंह कैड़ा  
08.02.2018

88. क्या चिकित्सा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि भीमताल विधान सभा क्षेत्र के ओखलकाण्डा ब्लाक मुख्यालय में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धारी ब्लाक पदमपुरी अस्पताल, भीमताल अस्पताल में मरीजों को दवाईयां पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि तीनों अस्पतालों में अल्ट्रासाउण्ड तथा एक्सरे मशीनें एवं टैक्नीशियन कब तक उपलब्ध करा दिये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

चिकित्सा

श्री राम सिंह कैड़ा  
08.02.2018

89. क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि भीमताल विधान सभा के विकास खण्ड ओखलकाण्डा, धारी बिजली से वंचित है एवं उनमें विद्युतीकरण का कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम पंचायतों में यद्यपि विद्युतीकरण है उन ग्राम पंचायतों के जो तोक विद्युतविहीन है तो उनका विद्युतीकरण कब तक हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

ऊर्जा

श्री राम सिंह कैड़ा  
08.02.2018

90. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि भीमताल विधान सभा के ओखलकाण्डा ब्लाक की ग्राम सभा रीखाकोट के तोक स्याली में बना लोक निर्माण विभाग का अधूरा पुल जिसके दोनों तरफ बड़े गड्डे होने के कारण बच्चों व ग्रामीणों को गिरने का डर बना हुआ है उक्त पुल कब तक बनेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण

श्री राम सिंह कैड़ा  
08.02.2018

91. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि भीमताल विधान सभा क्षेत्र के रामगढ़ व धारी ब्लाक के सूपी ग्राम सभा के काफली से हरिनगर अक्सोडा मोटर मार्ग जो अधूरा है का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण होगा? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण

श्री राम सिंह कैड़ा  
08.02.2018

92. लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या भीमताल विधान सभा के ओखलकाण्डा ब्लाक के गौला नदी, लधिया नदी, नन्धौर नदी में बने पुल पिछले वर्षों में आई आपदा के दौरान बह गये थे? क्या मंत्री जी बतायेंगे की उक्त पुलों का निर्माण कब तक होगा? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना  
08.02.2018

93. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड की दूसरी निर्वाचित सरकार द्वारा वर्ष 2007 –2012 के मध्य अल्मोड़ा जिले की सल्ट और भिक्क्यासैण विधान सभा में कितने मोटर मार्ग स्वीकृत किये गये थे? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि आतिथि तक कितने स्वीकृत मोटर मार्गों का निर्माण किया जा चुका है और कितनी स्वीकृत सड़कें निर्माण विहीन हैं? क्या मंत्री जी निर्माण कार्य न किये जाने का कारण बताते हुए शीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ कराएँगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण

श्री सुरेश राठौर  
08.02.2018

94. द्वितीय बुधवार के तारांकित-01 में स्थानान्तरित।

क्या सामान्य प्रशासन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा ज्वालापुर में स्थित घाड़ क्षेत्र के चहुँमुखी विकास के लिए सरकार की क्या विशेष योजना है? क्या घाड़ क्षेत्र को विशेष श्रेणी में लाने व चहुँमुखी विकास हेतु विशेष पैकेज देने पर विचार किया जा रहा है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

सामान्य  
प्रशासन

श्री फुरकान अहमद  
08.02.2018

95. ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य में सौर उर्जा नीति क्या है? सौर ऊर्जा का प्लांट लगाये जाने हेतु सरकार क्या सुविधा उपलब्ध कराती है और सौर ऊर्जा से प्राप्त होने वाली बिजली को सरकार किस दर पर क्रय करती है? उक्त के संबंध में समस्त विवरण क्या है?

ऊर्जा

श्री फुरकान अहमद  
08.02.2018

96. क्या लो0नि0वि0 मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि घोषणा संख्या 2109/2015 विधान सभा क्षेत्र पिरान कलियर के अन्तर्गत पिरान कलियर शरीफ में नई गंग नहर पर 61 मी0 स्पान के बो स्टिंग स्टील गार्डर सेतु निर्माण कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त सेतु का निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण

श्री मनोज रावत  
08.02.2018

97. क्या पशुपालन मंत्री अवगत है कि उनके अधीन विभाग में आशुलिपिक के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतनमान शासनादेश संख्या 6079/12-प-1-97-2(71)/93 दिनांक 7 नवम्बर 1997 द्वारा वेतनमान 5500-9000 में संशोधित कर 6500-10500 अनुमन्य कराया गया है जिसके आधार पर निदेशक पशुपालन उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-8717-21 दिनांक 05.12.1997 पंजीकृत पत्र संख्या 3181 दिनांक 23.04.1998 एवं पत्र संख्या 6258 दिनांक 17.08.1998 द्वारा तत्समय कार्यरत आशुलिपिकों का वेतन निर्धारण हेतु अपर निदेशक पशुपालन (उत्तराखण्ड) को आदेशित किया गया था? क्या यह सत्य है कि उक्त कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के बाद शासनादेशों की अवहेलना कर नियमों के विपरीत निदेशक पशुपालन उत्तराखण्ड द्वारा संशोधित वेतनमान को निरस्त कर सेवानिवृत्त आशुलिपिकों की पेंशन से वसूली की जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच करते हुए प्रभावित सेवानिवृत्ति आशुलिपिकों से वसूल की गयी धनराशि उन्हें वापस लौटायेगी?

पशुपालन

श्री खजानदास  
08.02.2018

98. क्या लोक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट-पवाधार-चौरपाल मोटर मार्ग में ग्राम नागधूणा के आधा कि0मी0 लिंक मार्ग के पुर्ननिर्माण एवं सुधार कार्य हेतु जिला योजना के अन्तर्गत पत्रांक 417/अ0जि0यो0 2016-17 दिनांक 16.09.2016 के द्वारा धनराशि स्वीकृत की गयी तथा इस अधूरे निर्माण को पूरा करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण

श्रीमती ममता राकेश  
09.02.2018

99. क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2017 के आरम्भ से अब तक सिडकुल द्वारा विकसित औद्योगिक आस्थानों में कितने निवेशकों द्वारा भूमि क्रय कर निवेश किया गया है अथवा उद्योग स्थापित किये गये हैं? क्या सरकार तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी?

उद्योग



श्री फुरकान अहमद  
09.02.2018

100. क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि विश्व प्रसिद्ध साबिर पाक पिरान कलियर में गंग नहर के ऊपर नये पुल का निर्माण हो रहा है? क्या मंत्री इस बात से भी अवगत है कि उक्त पुल निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से हो रहा है जिससे साबिर पाक की जियारत को देश-विदेश से आने वाले जायरीनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और क्षेत्र के लोगों में असंतोष उत्पन्न हो रहा है? क्या सरकार उक्त पुल के निर्माण में गति लायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण